नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन और डेयरी विभाग, केन्द्रीय मत्स्की तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) के अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग, केन्द्रीय मत्स्की तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्की तटीय इंजीनियरी संस्थान (निदेशक) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निदेशक	01* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) + 7600 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) + ग्रेड वेतन 6600 में ऐसे उपनिदेशक जिनकी उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी में उपाधि है । **टिप्पण.**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी— (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए) + ग्रेड वेतन 6600 ग्रेड वेतन के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी में उपाधि है; और (ii) बंदरगाह परियोजनाओं और जल कृषि परियोजनाओं में कार्य का दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव बंदरगाह परियोजनाओं का हो, जिसमें स्थल चयन, समुद्रतटीय संरचनाओं की आयोजना और अभिकल्पना तथा बंदरगाहों के विकास के लिए तटीय संस्थापन अंतर्वलित हैं । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, (प्रशासन), पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग —सदस्य 4. मत्स्य पालन विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मात्स्की) —सदस्य	लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

[फा. सं. 4-3/2009-मत्स्य प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2010

G.S.R. 176.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, Director (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, under the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries). namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Director), Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade payor pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band, and grade pay or pay scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director	01* (2010) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, (Group 'A') Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600-39100+ Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)	(12)
By promotion, failing which by deputation	**Promotion:** Deputy Director (Civil Engineering) in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) + Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade and possessing a degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution. **Note:** where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** Officers under Central Governments. (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3 of

(12)
Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience; (i) Degree in Civil Engineering of a recognized university or institution. (ii) Ten years' experience on harbor projects and aquaculture projects out of which at-least five years' experience should be in harbor projects, involving site selection, planning and designing of maritime structures and shore installation for development of harbors. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fishereis —Member 3. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fishereis —Member 4. Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries) —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4-3/2009-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.